/ 10

(141)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

COURT FEE INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE INDIA 50 PAISE

रीवा, मध्य प्रदेश

दयाशंकर तनय अवधेश प्रसाद सा० मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन

जिला सतना, म०प्र० — — ~~अपीलार्थी~~/आवेदक

RN/10-2/R/852/94

बनाम

स्टेट आफ म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना, म०प्र०

— — अनावेदक

Umesh Dwivedi
16-8-94

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश
श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा
संभाग रीवा द्वारा प्र०क्र० 269/92-93
मे पारित आदेश दिनांक 23-6-94

Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)
16-8-94

Rev. Board
Camp. Rewa

- - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू०रा०सं०1959ई०

- - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय व आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण मे आये तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि विवादित भूमि के संबंध मे इन्ही पक्षकारो के बीच धारा 248 की कार्यवाही वर्ष 83-84 मे चल चुकी है जिसमे बेदखली का आदेश हुआ था तथा उक्त प्रकरण मे माननीय राजस्व मंण्डल द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के बाद सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आदेश दिया गया था किन्तु उक्त आदेश का पालन किये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 852/1994 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 – 9 –16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री जादौन उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 269/1992–93/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.06.94 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के बीच संहिता की धारा 248 की कार्यवाही वर्ष 83–84 में चल चुकी है, जिसमें बेदखली का आदेश हुआ था तथा उक्त प्रकरण में राजस्व मंडल द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के बाद सहानुभूमि पूर्वक विचार करने का आदेश दिया गया था, किन्तु उक्त आदेश का पालन किये बिना धारा 248 में पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई। आवेदक के	

अधिवक्ता का तर्क है कि संहिता की धारा 248 का प्रकरण एक बाद जिन पक्षकारों पर चला है तथा दुबारा उन्हीं पक्षकारों पर उसी भूमि के संबंध में प्रकरण नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उक्त प्रकरण में जो आदेश हुआ है उसका परिपालन किया जा सकता है । आवेदक के अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर एक बाद अनाधिकृत कब्जा किये जाने के उपरांत प्रकरण का निराकरण होने पर दुबारा यदि अनाधिकृत कब्जे की स्थिति बनती है तो संबंधित पक्षकार के पास संहिता की धरा 248 के तहत पुनः सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। संहिता की धारा 248 की कार्यवाही आबादी निरस्तार में भी चल सकती है । उक्त धारा पर कोई रोक नहीं है । आवेदक ने न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है जिससे की यह पता चल सके कि उक्त प्रकरण पूर्व में भी चल चुका है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने उपयुर्क्त तथ्यों के आधार पर ही अपील निरस्त की है । मैं अपर आयुक्त के आदेश से सहमत हूँ।

5/ अतएव प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.94 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य